न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 45 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
नारायणीदेवी पुत्री मांगीलाल पत्नि भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल नगर		दुर्गासिंह पुत्र मांगीलाल के का0मु0 1 पर्बतसिंह 2 बहादुरसिंह 3 दीपक 4 नीतु पि0 दुर्गासिह 5 कमला बेवा दुग्रसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत 6 ग्राम पंचायत चण्डावल नगर जरिये सरपंच 7 ग्रुप सचिव, चण्डावल नगर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महावीर प्रसाद मेवाडा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 5।
3. श्री रमेशचन्द्र पंवार, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 7।

–: निर्णय :–

दिनांक 22.11.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 16 / 1997–1998 में पारित संकल्प संख्या 8 दिनांक 05.04.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 476 दिनांक 20.06.2003 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 5 के पति के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टे की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र खानापूर्ति करते हुए आधी अधूरी प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी जांच के जैर अपील आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टा को अपास्त करावे।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की भूमि को पुश्तैनी माना, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा होना स्वीकार करते हुए, जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने निगरानी को स्वीकार किया है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 15 नियम 1 के तहत निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 16/1997–1998 में पारित संकल्प संख्या 8 दिनांक 05.04.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 476 दिनांक 20.06.2003 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली